MOMENTUM JHARKHAND
The investment destination

झारखण्ड सरकार

दमकता दुमका

कार्यालय नगर परिषद, दुमका।

ज्ञापांक 198 डी0एन0पी0 दुमका, दिनांक 07/02/18

इच्छा की अभिव्यक्ति

नगर परिषद, दुमका के नियंत्रणाधीन समाहरणालय के पास स्थित चिल्ड्रेन पार्क और कैफेटेरिया का संचालन एवं संपोषण **(O&M)** हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी/फर्म/गैर सरकारी संस्थान से एक वर्ष के लिए बंद लिफाफे में दिनांक 15/02/18, 02:00PM तक दर आमंत्रित किया जाता है। निविदा 15/02/18 को अपराह्न 03:00PM बजे खोली जायेगी। निविदा की नियम एवं शर्त्ते नगर परिषद के सूचना पट्ट और वेबसाईट udhd.jharkhand.gov.in/ tender पर उपलब्ध है।

निविदा की नियम एवं शर्त्ते निम्नलिखित है।

1. कोई भी व्यक्ति/एजेंसी/फर्म/गैर सरकारी संस्थान इसमें भाग ले सकते है।
2. इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी/फर्म/गैर सरकारी संस्थान को बंद लिफाफा के साथ में पैन कार्ड/आधार कार्ड/चरित्र प्रमाण पत्र और पिछले दो वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।
3. पार्क को स्वच्छ एवं सुन्दर रखना कार्यकारी एजेंसी की प्रथम प्राथमिकता होगी।
4. पार्क की परिसंपत्तियों का ठीक से रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी एजेंसी की होगी।
5. कार्यकारी एजेंसी का दायित्व होगा कि वह पार्क की परिसंपत्तियों का रख–रखाव ठीक करें। किसी भी प्रकार की पार्क की परिसंपत्तयों की क्षति की भरपाई कार्यकारी एजेंसी को करनी होगी।
6. पार्क का संचालन एवं संपोषण का हस्तांतरण के समय पार्क की परिसंपत्तियों की गिनती की जायेगी।
7. पार्क का खुलने एवं बंद करने का समय अधोहस्ताक्षरी के द्वारा तय किया जायेगा।
8. सभी फाउण्टेन और प्रकाश **(Lighting)** का रख–रखाव की जिम्मेवारी एजेंसी की होगी।
9. पार्क का प्रवेश शुल्क–बच्चों के लिए (जिनकी आयु 10 वर्ष से कम हो) पांच रूपया और बड़ों के लिए (जिनकी आयु 10 वर्ष से ज्यादा हो) दस रूपया निर्धारित है। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली किसी भी कीमत पर नहीं की जायेगी।
10. किसी भी समय एक वर्दी धारी सुरक्षा गार्ड मौजूद रहेगा।

MOMENTUM JHARKHAND
The investment destination

झारखण्ड सरकार

11. पार्क में सुरक्षा व्यवस्था दुरूस्त रखने के लिए व्यास्थपक/कार्यकारी एजेंसी को सुरक्षा गार्ड रखना आवश्यक होगा जो विभिन्न शिफ्टों में कार्यरत रहेंगे। किसी भी समय कम से कम एक वर्दी धारी सुरक्षा गार्ड पार्क में मौजूद रहेगा।
12. इस कार्य में अनुभव रखनेवाले व्यक्ति/एजेंसी/फर्म/गैर सरकारी संस्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।
13. संचालन एवं संपोषण का कार्य एक वर्ष के लिए आवंटित किया जायेगा, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
14. नगर परिषद, दुमका द्वारा प्रतिमाह पार्क निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के क्रम में दिये गये निदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा खामी पाये जाने एकरारनामा तत्काल रद्द किया जा सकता है।
15. पार्क में उत्पन्न होने वाले खर पतवार का निष्पादन पार्क में ही पीट के माध्यम से करना होगा। ताकि कम्पोस्ट का निर्माण हो और निर्माण होने वाले कम्पोस्ट का उपयोग पार्क में ही किया जाय।
16. कैफेटेरिया में पार्क में जाने वाले आगंतुको हेतु बैठने की उचित व्यवस्था का प्रबंध रखना अनिवार्य है।
17. कैफेटेरिया चलाने की जिम्मेवारी एजेंसी की होगी।
18. कैफेटेरिया का सुखा एवं गिला कचड़ा का निष्पादन अलग–अलग करना अनिवार्य होगा। गिला कचड़ा का निष्पादन पार्क में बने पीट के माध्यम से करना होगा ताकि इसका कम्पोस्ट बन सके।
19. पार्क में किसी भी प्रकार का पार्टी/आयोजित के पूर्व नगर परिषद से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुमति की नियम व शर्त्ते नगर परिषद, द्वारा निर्धारित की जायेगी।
20. संवेदक को बिजली विपत्र का भुगतान करना होगा। बिजली कनेक्शन संवेदक अपने नाम से करा लेंगे तथा संविदा अवधि के बाद बिजली विच्छेदन कराने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
21. निविदा में भाग लेने के लिए 1000.00 (एक हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट शुल्क के रूप में जमा करना होगा। इस राशि की वापसी नहीं होगी।
22. सुरक्षित जमा (Security Deposit) की राशि, पार्क संचालन व संपोषण हेतु तय की गयी राशि के बराबर होगी. उक्त राशि Bank Gurantee के माध्यम से निविदा निस्तारण के पश्चात दो कार्यदिवस के अंदर जमा करना आवश्यक होगा। इस राशि की वापसी निविदा अवधि समाप्ति उपरांत देय होगी।
23. पार्क के अंदर विभिन्न प्रकार के असमाजिक तत्व, मदीरापान आदि नशे न होने देने की जिम्मेवारी एजेंसी की होगी।

9/02.18

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, दुमका।
9.2.18